प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.03.24

थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 19.03.2024 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त विकास पुत्र जगदीश निवासी टंकी के पास ग्राम महमूदपुर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को फर्रूखनगर महमूदपुर चौराहे से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटर साइकिल मैंने लोनी बॉर्डर से चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बोर्डर पर मोटर साइकिल चोरी के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

विकास पुत्र जगदीश निवासी टंकी के पास ग्राम महमूदपुर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध्द थाना टीलामोड़ पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग तथा थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अभियुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश करने पर उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार।

दिनांक 19.03.2024 को थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 जिला बदर अभियुक्त अजय राणा पुत्र फतेह सिंह निवासी राणा वाली गली कड़कड़ मॉडल थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के अन्तर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम दिनांकित 04.10.2023 के अनुपालन में दिनांक 09.10.2023 को आदेश तामील कराया गया था एवं भली-भाँति अवगत कराया गया था कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आप आदेश में लिखित छः माह से पूर्व कमिश्नरेट गाजियाबाद की सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगे। अभियुक्त अजय राणा पुत्र फतेह सिंह द्वारा न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश का उल्लंघन करने पर जिला बदर अभियुक्त अजय राणा पुत्र फतेह सिंह को दिनांक 19.03.2024 को रामलीला मैदान के पास गाँव कड़कड़ मॉडल से गिरफ्तार कर उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अजय राणा पुत्र फतेह सिंह निवासी राणा वाली गली कड़कड़ मॉडल थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त अजय राणा पुत्र फतेह सिंह के विरूद्ध थाना लिंकरोड पर छेड़खानी तथा मारपीट, गाली गलौच व जान मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 01 करोड रुपए कीमत की 3.7 किलोग्राम अफीम सहित तीन अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

दिनांक- 20.03.2024 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना नन्दग्राम क्षेत्र में हिन्डन मैट्रो स्टेशन के पास राजनगर एक्सटेंशन की तरफ जाने वाले रास्ते पर बने गेट के पास से झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही 3.7 किलोग्राम अफीम सहित 03 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। अफीम तस्करो से बरामद 3.7 किलोग्राम अफीम की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 01 करोड रूपये है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ पर अभियुक्त निर्मल कुमार डांगी ने बताया कि वह झारखण्ड के चतरा जिला का रहने वाला हैं और इतिहास से स्नातक हैं। पहले वह एक प्राइवेट कम्पनी में जॉब करता था लेकिन किसी कारण से कम्पनी बन्द हो गयी तो तब से वह अपने घर पर रहकर खेती का काम करने लगा, पैसे की अधिक आवश्यकता होने के कारण वह अपने गांव के पास ही रहने वाले अफीम तस्कर प्रमोद कामदेव डांगी के सम्पर्क मे आया और अवैध अफीम की तस्करी झारखण्ड से उत्तर प्रदेश,

हरियाणा, पंजाब व दिल्ली एन0सी0आर0 मे जाकर करने लगा इस काम में उसको अधिक फायदा होने लगा। अभियुक्त रामचन्द्र कुमार भुइया ने बताया कि वह चतरा जिला का रहने वाला हैं और 10 वी पास हैं व पहले वह अपने गांव में ही सरिया शटरिंग की दिहाडी मजदूरी का काम करता है लेकिन इसमें उसको ज्यादा पैसे नही मिलते थे, व अभियुक्त संजय भुइया ने बताया कि मैं झारखण्ड के चतरा जिला का रहने वाला हू और मैं पढा लिखा नही हू व पहले वह अपने गांव के पास ही एक होटल पर खाने बनाने का काम करता था लेकिन इसमें उसको ज्यादा पैसे नही मिलते थे, ये लोग भी प्रमोद कामदेव डांगी के सम्पर्क में आये। ये तीनो अफीम व अन्य नशीले पदार्थ लेकर बरेली, गाजियाबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व एन0सी0आर0 में डिमाण्ड के अनुसार सप्लाई करने लगे। अभियुक्त निर्मल कुमार डांगी ने बताया कि हमें अफीम की जितनी डिमाण्ड मिलती है उतना माल लेकर हम तीनो बस व ट्रेनों से बदल-बदल कर आते हैं, जिसको माल देना होता है वो जगह हम लोग पहले ही तय कर लेते हैं कि माल कहाँ और कितने बजे देना है, जब हम तीनो माल लेकर चलते हैं तो किसी से सम्पर्क नही करते जब तक कि माल को तयशुदा जगह पर जिसको डिलीवरी देनी है उसे पंहुचा न दें, माल लेने वाले ने हमें गाजियाबाद में बुलाया था, माल डिलीवरी करने से पहले ही हम तीनो पकडे गये। पूछताछ पर यह भी बताया कि हम तीनो पिछले 01 वर्ष से यह काम कर रहे हैं एवं कई बार माल पंहुचा भी चुके हैं मादक पदार्थो की तस्करी मे कम समय में ज्यादा फायदा होता है, हम तीनो अपने शौक व घर के खर्चे इसी से पूरे करते हैं।

अभियुक्तगण से पूछताछ पर मादक पदार्थों के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की बिक्री व उनके सेवन पर रोक लगेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-.

1- निर्मल कुमार डांगी पुत्र बालदेव महतो निवासी ग्राम लेम थाना चतरा जनपद चतरा झारखण्ड उम्र करीब वर्ष 32
2- रामचन्द्र कुमार भुइया पुत्र केदार भुइया निवासी ग्राम असडिया थाना चतरा जनपद चतरा झारखण्ड उम्र करीब वर्ष 33
3- संजय भुइया पुत्र बुटा भुइया निवासी ग्राम असडिया थाना चतरा जनपद चतरा झारखण्ड उम्र करीब वर्ष 32

बरामदगी का विवरण:-

1.अफीम – 3.7 किलोग्राम कीमत लगभग 01 करोड रूपये

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा मोबाइल फोन आदि की लूट करने वाले 06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 12 मोबाइल फोन व लूट के सामान को बेचकर प्राप्त 7200/-रु बरामद।

दिनांक 20.03.2024 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मोबाइल फोन की लूट की कई घटनाएं कारित करने वाले 06 अभियुक्त 1.मोनू उर्फ मोना पुत्र मुन्ना रावत नि0-म0न0 567 मैन मार्किट झण्डापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र-25 वर्ष । 2.राहुल उपाध्याय राकेश उपाध्याय नि0 म0नं0 252 सक्सैना सुपर स्टोर के पास मैन मार्केट झण्डापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र- 20 वर्ष । 3.विक्की उपाध्याय पुत्र श्रवण उपाध्याय नि0 म0न0 डी-51 गली नं0 1 त्यागी जिम के पास मैन मार्केट झण्डापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र- 19 वर्ष। 4.जग्गा उर्फ आदित्य दिवाकर पुत्र भरतसिंह धोबी नि0 म0नं0 200 धनश्याम स्कूल के पास मैन मार्केट झण्डापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र-20 वर्ष। 5. लव उपाध्याय पुत्र हरिओम उपाध्याय नि0 म0नं0 284 त्यागी जिम के पास मैन मार्केट झण्डापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र-19 वर्ष। 6. नीरज मिश्रा पुत्र विनोद मिश्रा नि0- म0न0 199 गली नं0 1 त्यागी जिम के पास मैन मार्केट झण्डापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम- 20 वर्ष को सैक्टर 14 नगर निगम पार्क वसुन्धरा से लूट के 12 मोबाइल फोन व लूट के सामान को बेचकर प्राप्त 7200/-रु0 सहित गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि हम सभी मिलकर मोबाइल लूटने का कार्य करते है। जिसमे से मोनू उर्फ मोना और राहुल मोबाइल छीनने का कार्य करते है। विक्की और जग्गा ग्राहक ढूँढकर बेचते है तथा लव उपाध्याय और नीरज मिश्रा उसके फर्जी बिल तैयार करते है। जिससे हम लूटे हुए मोबाइलों के फर्जी बिल बनाकर कूट रचना करके उसका असली के रूप में प्रयोग करके आर्थिक लाभ कमाते है तथा मिले हुए पैसों से मोज मस्ती करते है। तथा लूट करने वाले अभियुक्त मोनू और राहुल ने बताया कि हम दोनों ने शिव रात्री के दिन एक लडकी से उसका मोबाइल , दिनांक- 08.02.2024 को सीएनजी पम्प रोड से 01 मोबाइल फोन, दिनांक 12.03.2024 को रात्रि पैसेफिक मॉल के पास से 01 मोबाइल फोन व लगभग 20 दिन पहले स्वर्ण जयंती पार्क के पास से एक व्यक्ति का 01 मोबाइल फोन, दिनांक 23.01.2024 को कैम्ब्रिज स्कूल के पास से 01 मोबाइल फोन तथा दिनांक 29.02.2024 को आम्रपाली विलेज सोसायटी के पास से 01 मोबाइल फोन व 01 मोबाइल फोन शिव रात्रि के दिन हनुमान मंदिर के पास से छीन लिया था। उक्त सभी लूटे गये मोबाइलों को हमने फर्जी बिल बनाकर बेच दिया था। जिनमें से हम मिले पैसों का पहले ही बटवारा कर चुके है। आज भी हम लोगों ने 7200/- रूपयों का बटवारा किया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता</u>

1. मोनू उर्फ मोना पुत्र मुन्ना रावत नि0-म0न0 567 मैन मार्किट झण्डापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र-25 वर्ष।
2. राहुल उपाध्याय राकेश उपाध्याय नि0 म0नं0 252 सक्सैना सुपर स्टोर के पास मैन मार्केट झण्डापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र- 20 वर्ष।
3. विक्की उपाध्याय पुत्र श्रवण उपाध्याय नि0 म0न0 डी-51 गली नं0 1 त्यागी जिम के पास मैन मार्केट झण्डापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र- 19 वर्ष।
4. जग्गा उर्फ आदित्य दिवाकर पुत्र भरतसिंह धोबी नि0 म0नं0 200 धनश्याम स्कूल के पास मैन मार्केट झण्डापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र-20 वर्ष।

5. लव उपाध्याय पुत्र हरिओम उपाध्याय नि0 म0नं0 284 त्यागी जिम के पास मैन मार्केट झण्डापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र-19 वर्ष।
6. नीरज मिश्रा पुत्र विनोद मिश्रा नि0- म0न0 199 गली नं0 1 त्यागी जिम के पास मैन मार्केट झण्डापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम- 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- लूट के 12 मोबाइल फोन व लूट के सामान को बेचकर प्राप्त 7200/-रु0 बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

- सभी अभियुक्तगणों के विरुद्ध लूट से सम्बन्धित 06 अभियोग थाना इन्दिरापुरम व 01 अभियोग थाना लिकरोड पर पंजीकृत है।
- अभियुक्त मोनू उर्फ मोना के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर लूट / आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुल 08 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे 10 किलो गांजा, 04 चाकू , घटना मे प्रयुक्त कार बरामद

आज दिनांक 20.03.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग अभियान के दौरान 04 अभियुक्त 1- फिरोज खान, 2- अकील, 3-वसीम, 4- नौशाद को 10 किलो गांजा , कार व 04 चाकू के साथ जीटी रोड पीर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार चारो अभियुक्तो पूछने पर एक स्वर मे बताया कि हम लोग आपस मे अच्छे दोस्त है काफी दिनो से हम लोग चोरी छुपके बाहर के रहने वाले किसी आदमी से जिसका हम नाम पता नही जानते उससे गांजे को खरीद कर गांजे को कार मे रखकर सप्लाई करते है और हम पर कोई शक भी नही करता है गांजे को बेचकर हम लोग आर्थिक लाभ कमाकर अपनी मौज मस्ती मे खर्चा कर देते है। तथा बरामद चाकू के बारे मे बताया कि हम चारो लोग अपनी सुरक्षा व डराने के लिये चाकू रखते है।

नाम पता अभियुक्त

1- फिरोज खान पुत्र रज्जाक खान निवासी म0न0 1187 नियर बुन्दू होटल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र 37 वर्ष

2- अकील पुत्र अव्दुल रहीम निवासी मो0 शिवनगर कालोनी सलेमपुर रोड थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र 37 वर्ष
3- वसीम पुत्र शरीफ निवासी मो0 चौधरीबाडा थाना सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर उम्र 30 वर्ष
4- नौशाद पुत्र इकराम निवासी मो0 कसाईबाडा (बकरकसाव) थाना सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर उम्र 32 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास फिरोज खान</u> –

कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 01 अभियोग जुआ अधिनियम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर मे 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट व 01 अभियोग अवैध गांजे का कुल 03 अभियोग पंजीकृत ।

<u>आपराधिक इतिहास अकील</u> –

जनपद बुलन्दशहर मे 01 अभियोग बलवा का पंजीकृत ।

<u>आपराधिक इतिहास वसीम</u> –

जनपद बुलन्दशह मे 04 अभियोग गोवध अधिनियम, 01 अभियोग अवैध तमंचा, 02 अभियोग अवैध चाकू, 01 अभियोग अवैध शराब, 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट व जनपद हापुड मे 01 अभियोग अवैध गांजे का कुल 10 अभियोग पंजीकृत।

<u>आपराधिक इतिहास नौसाद</u> –

कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट, 01 अभियोग अवैध शस्त्र, जनपद बुलन्दशहर मे 02 अभियोग अवैध तमंचा, 01 अभियोग चोरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर मे 02 अभियोग चोरी, 01 अभियोग हत्या का प्रयत्न कुल 08 अभियोग पंजीकृत ।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1- 10 किलो गांजा
2- कार ईसेन्ट (घटना मे प्रयुक्त)
3- 04 चाकू

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा गाड़ी चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्ज़े से चोरी की 02 कार व 04 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद ।

दिनांक 19.03.2024 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गाड़ी चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तगण 1. वीभू 2. अभिषेक वाजपेई उर्फ सत्यम को भाटियामोड पुल से दो चोरी की कार व 04 फर्जी नम्बर प्लेटो सहित गिरफ्तार किया गया व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>पूछताछ का विवरण</u>:-

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया कि हम लोग दिल्ली व एनसीआर के क्षेत्र से कार चोरी कर नम्बर प्लेट बदलकर उन्हे दूसरे राज्यो में बेचकर काफी मुनाफा कमाते हैं। ये दोनों कार भी हमने दिल्ली से चोरी की थी। जिन्हे आज हम बेचने हेतु ले जा रहे थे। हम लोगो ने लखनऊ व हरदोई में भी कार चोरी की घटनाएँ की है।

नाम पता अभियुक्त-

1. वीभू पुत्र अरविन्द श्रीवास्तव निवासी वावन चुंगी सांडी रोड नियर पाण्डेय सर्विस सेन्टर थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई

2. अभिषेक वाजपेई उर्फ सत्यम वाजपेई पुत्र श्यामकिशोर वाजपेई निवासी म0नं0 716 आलू थोक सांडी रोड थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 कार होण्डा अमेज
2. 01 कार होण्डा सिटी
3. 04 अदद फर्जी नम्बर प्लेट

आपराधिक इतिहास

1.अभियुक्त वीभू के विरूद्ध चोरी का एक अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त अभिषेक वाजपई के विरूद्ध चोरी के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीम:-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 45 पुडिया अवैध स्मैक (वजन 24.5 ग्राम) बरामद।

दिनांक 20.03.2024 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त संदीप श्रीवास पुत्र भोला श्रीवास निवासी ग्राम केडी थाना औरछा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश हाल पता बी ब्लाक रामलीला मैदान झिलमिल कालोनी थाना विवेक विहार पूर्वी दिल्ली उम्र 20 वर्ष को रामप्रस्था से महाराजपुर जाने वाले रास्ते की तरफ रेलवे क्रासिंग के पास से 45 पुडिया अवैध स्मैक (वजन 24.5 ग्राम) के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त संदीप श्रीवास पुत्र भोला श्रीवास उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

संदीप श्रीवास पुत्र भोला श्रीवास निवासी ग्राम केडी थाना औरछा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश हाल पता बी ब्लाक रामलीला मैदान झिलमिल कालोनी थाना विवेक विहार पूर्वी दिल्ली उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- 45 पुडिया अवैध स्मैक (वजन 24.5 ग्राम) बरामद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा आपराधिक मानव वध व बलवा करने वाले वाँछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 01 क्रिकेट स्टम्प व 01 बैट (आलाकत्ल) बरामद ।

दिनांक 11.03.2024 को थाना साहिबाबाद पर दो पक्षों में आपसी मारपीट व बलवा कारित होने की घटना घटित हुई थी। जिसमें पहले ही 02 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत हेतु भेजा जा चुका है। उक्त घटना में गम्भीर रुप से घायल 01 व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण पंजीकृत अभियोग में कुछ धाराओं की बढ़ोत्तरी कर की गई। जिसके क्रम में दिनांक 20.03.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु रवाना होकर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाँछित 02 अभियुक्त 1.क्रिश पुत्र सुनील निवासी म0न0 513 G ब्लाक शहीदनगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष। 2.सतीश पुत्र सूरजपाल निवासी म0न0 513 G ब्लाक शहीदनगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष व वाँछित 01 अभियुक्ता शकुन्तला पत्नी सूरजपाल उर्फ ब्रह्मप्रकाश निवासी म0न0 513 G ब्लाक शहीदनगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 58 वर्ष को शहीद नगर मैट्रो स्टेशन के नीचे से 01 क्रिकेट स्टम्प व 01 बैट (आलाकत्ल) सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. क्रिश पुत्र सुनील निवासी म0न0 513 G ब्लाक शहीदनगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।
2. सतीश पुत्र सूरजपाल निवासी म0न0 513 G ब्लाक शहीदनगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष।
3. शकुन्तला पत्नी सूरजपाल उर्फ ब्रह्मप्रकाश निवासी म0न0 513 G ब्लाक शहीदनगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 58 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- 01 क्रिकेट स्टम्प व 01 बैट (आलाकत्ल) बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 50 पव्वे देशी शराब व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 19.03.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त सुबोध सिंह पुत्र श्री ग्रन्थ सिंह निवासी डी ब्लाक मकान नं0 554 उत्तरांचल कॉलोनी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम किसरोली थाना शमशाबाद जिला फर्रुखाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को भाटी गेट के पास शालीमार गार्डन से 50 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

सुबोध सिंह पुत्र श्री ग्रन्थ सिंह निवासी डी ब्लाक मकान नं0 554 उत्तरांचल कॉलोनी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम किसरोली थाना शमशाबाद जिला फर्रुखाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- 50 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध्द थाना आदर्श नगर जिला क्राईम ब्रांच दिल्ली पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से एक मोटर साइकिल चोरी की बरामद।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम द्वारा दिनाँक 20.03.2024 को संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति अंकित कुमार स्वामी पुत्र श्याम मोहन नि० महालक्ष्मी एन्क्लेव करावल नगर पूर्वी दिल्ली को शनि मंदिर के पास इन्द्रापुरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद हुई । अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त अंकित कुमार उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया कि साहब मेरे पास यह मोटरसाईकिल चोरी की है तथा मैं इस चोरी की मोटरसाइकिल से ही चलते फिरते चोरी करता रहता हूँ मै कुछ भी चीज चोरी कर लेता हूँ और चोरी की चीज बेचकर अपना खर्च चलाता हूं|

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

अंकित कुमार स्वामी पुत्र श्याम मोहन नि० महालक्ष्मी एन्क्लेव करावल नगर पूर्वी दिल्ली उम्र 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

एक चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बोर्डर गा0बाद पुलिस टीम।

थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.03.2024 को थाना वेवसिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त अमन द्वारा वादिया की नाबालिक पुत्री उम्र 14 वर्ष के साथ दुष्कर्म किया गया है। उक्त सम्बन्ध में थाना वेवसिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। दौराने चेकिंग , सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इनपुट की मदद से अभियुक्त अमन पुत्र श्यामा चरण मूल निवासी ग्राम बसौला थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद उ0प्र0 हाल निवासी मुकेश कालोनी नियर शिव विहार लालकुंआ थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को आज दिनांक 19.03.2024 को हाइटेक चौराहा सारे होम लालकुंआ से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का नाम पता:-

अमन पुत्र श्यामा चरण मूल निवासी ग्राम बसौला थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद उ0प्र0 हाल निवासी मुकेश कालोनी नियर शिव विहार लालकुंआ थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित 20000/- रूपये के इनामी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी, एक तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद |

दिनांक 29.08.2023 को वादी द्वारा अंकुश पुत्र राम किशोर नि० सोनिया नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद तथा अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर तहरीर दी गई थी। जिसके सम्बन्ध में तत्काल सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया था | जिसमें अभियुक्त अंकुश पुत्र राम किशोर उपरोक्त को दिनांक 30.08.2023 को गिरफ्तार किया गया था | विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 02 अज्ञात अभियुक्तों की पहचान उमाशंकर पुत्र भोला नि०टी -222 गली न० 2 गौतमपुरी थाना शास्त्री पार्क दिल्ली तथा सलमान पुत्र इकरामुद्दीन नि0 म0न0 A -39 गली न० 8 इन्साल्लाह मस्जिद के पास चौहान बांगड़ थाना सीलमपुर दिल्ली के नाम प्रकाश में आये | जिसमें अभियुक्त उमाशंकर उपरोक्त ने दिनांक 21.10.23 में मा0 न्या0 में आत्मसमर्पण किया | शेष वांछित अभियुक्त सलमान उपरोक्त की गिरफ़्तारी न होने के कारण दिनांक 22.2.24 को अभियुक्त सलमान पर 20000/- रूपये पुरूस्कार घोषित किया गया | पुरूस्कार घोषित अभियुक्त सलमान की गिरफ़्तारी हेतु टीमें गठित की गयी थी | जिसके क्रम में दिनांक 19.03.2024 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा मेट्रो पिलर न० 15 से अभियुक्त सलमान पुत्र इकरामुद्दीन नि0 म0न0 A -39 गली न० 8 इन्साल्लाह मस्जिद के पास चौहान बांगड़ थाना सीलमपुर दिल्ली उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस तथा 01 स्कूटी चोरी की बरामद हुई है | अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र इकरामुद्दीन नि0 म0न0 A -39 गली न० 8 इन्साल्लाह मस्जिद के पास चौहान बांगड़ थाना सीलमपुर दिल्ली उम्र 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

- 01 तमंचा, 02 अदद जिन्दा कारतूस
- 01 स्कूटी चोरी की

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरणः-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बोर्डर पर सामूहिक दुष्कर्म का 01 अभियोग तथा थाना सिहानी गेट पर 01 अभियोग चोरी तथा 01 अभियोग NDPS एक्ट का पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम